

## प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 08.09.2021 जनपद देवरिया।

01.साइबर सेल देवरिया, थाना रामपुर कारखाना व थाना बघौचघाट पुलिस द्वारा अंगूठे का क्लोन बनाकर रूपयों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 04 अभियुक्त गिरफ्तार, मौके से काफी मात्रा में अंगूठों के क्लोन, क्लोन बनाने के उपकरण सहित 52 हजार रूपये नगद बरामद किया गया।

पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र के सम्मुख लोगों द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से उनके बैंक खाते से रूपये निकल जाने की शिकायत की जांच पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा प्रार्थना पत्रों की जांच साइबर सेल देवरिया को दिया गया, जिसपर साइबर सेल देवरिया द्वारा जांच के क्रम में आज दिनांक 08.09.2021 को थाना रामपुर कारखाना एवं थाना बघौचघाट के सहयोग से थाना रामपुर कारखाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कामधेनुआं स्थित अभियुक्त अच्छेलाल पुत्र जमुना साहनी के घर से अभियुक्तगण सोनू यादव पुत्र विमलेश्वर यादव निवासी-शंकरपुर थाना-बैकुण्ठपुर जनपद-गोपालगंज (बिहार), विशाल साहनी पुत्र अनिकचन्द्र साहनी निवासी-कामधेनुआं थाना-रामपुर कारखाना जनपद-देवरिया, प्रदीप साहनी पुत्र चिल्लर साहनी निवासी-कामधेनुआं थाना-रामपुर कारखाना जनपद-देवरिया को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम द्वारा मौके से 17 अंगूठों के क्लोन, एम-सिल 18 पैकेट, 05 अदद मोबाईल फोन, 09 अदद सिम कार्ड, 01 अदद थम्ब इम्प्रेशन मशीन, 10 डिब्बे फेविकोल, 01 डिब्बा सरसो का तेल, 22 अदद आधार कार्ड, एम-सिल पर लिए गये 17 अंगूठों के निशान, नगद 52 हजार रूपये बरामद किये गये। पुलिस टीम द्वारा बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों से पूछ-ताँछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि वह ग्राम कामधेनुआं एवं आस-पास के गांवों में घुमते-फिरते जिनको वह जानते थे को हाथ मिलाने व अन्य माध्यमों से एम-सिल के गोले पर उनके अंगूठे का निशान लेकर हम लोगों द्वारा मिलकर क्लोन बनाया जाता था, तदुपरान्त हम लोगों द्वारा उस अंगूठे के निशान वाले व्यक्ति को तमाम केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर उनसे आधार कार्ड ले लिया जाता था। हम लोगों द्वारा आधार इनेबल बैंकिंग एप के माध्यम से आधार कार्ड व अंगूठे के क्लोन से व्यक्ति के खाते से रूपये अन्य खातों में स्थानान्तरित कर लिया जाता है। पुलिस टीम द्वारा माल को कब्जे में लेते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 01.अच्छेलाल पुत्र जमुना साहनी निवासी-कामधेनुआं थाना-रामपुर कारखाना जनपद-देवरिया
02. सोनू यादव पुत्र विमलेश्वर यादव निवासी-शंकरपुर थाना-बैकुण्ठपुर जनपद-गोपालगंज (बिहार),
- 03.विशाल साहनी पुत्र अनिकचन्द्र साहनी निवासी-कामधेनुआं थाना-रामपुर कारखाना जनपद-देवरिया,
- 04.प्रदीप साहनी पुत्र चिल्लर साहनी निवासी-कामधेनुआं थाना-रामपुर कारखाना जनपद-देवरिया।

### बरामदगी का विवरण:-

01. कुल 17 अंगूठों के क्लोन,
- 02.एम-सिल 18 पैकेट,
03. कुल 05 अदद मोबाईल फोन,
04. कुल 09 अदद सिम कार्ड,
05. कुल 01 अदद थम्ब इम्प्रेशन मशीन,
06. कुल 10 डिब्बे फेविकोल,
07. कुल 01 डिब्बा सरसो का तेल,
08. कुल 22 अदद आधार कार्ड,
- 09.एम-सिल पर लिए गये 17 अंगूठों के निशान,
- 10.नगद 52 हजार रूपये।

### गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 01.निरीक्षक अश्वनी राय प्रभारी साइबर सेल देवरिया,
- 02.प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र प्रताप राय थाना बघौचघाट देवरिया,
- 03.उ0नि0 मनोज कुमार थानाध्यक्ष रामपुर कारखाना देवरिया,
- 04.उ0नि0 मुकेश मिश्र साइबर सेल देवरिया,
- 05.उ0नि0 रविन्द्र यादव थाना बघौचघाट देवरिया,
- 06.मु0आ0 शिवमंगल साइबर सेल देवरिया,
- 07.कां0 प्रद्युम्न जायसवाल साइबर सेल देवरिया,
- 08.कां0 दीपक सोनी साइबर सेल देवरिया,
- 09.म0कां0 प्रिया नायक साइबर सेल देवरिया,
- 10.कां0 सुबेदार यादव थाना रामपुर कारखाना
- 11.कां0 बिजेन्द्र यादव थाना रामपुर कारखाना
- 12.म0कां0 प्रीती पाण्डेय थाना रामपुर कारखाना
- 13.म0कां0 प्रभा सिंह थाना रामपुर कारखाना
- 14.कां0 राजीव कुमार थाना बघौचघाट
- 15.कां0 प्रमोद यादव थाना बघौचघाट
- 16.कां0 सुजीत प्रजापति थाना बघौचघाट
- 17.म0कां0 प्रतिमा शुक्ला थाना बघौचघाट

नोट:-पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु 5000/-रूपये से पुरस्कृत करने की घोषणा की गयी।

## प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 08.09.2021 जनपद देवरिया।

### थाना तरकुलवा पुलिस द्वारा हत्या की घटना का अनावरण, 02 अभियुक्ता गिरफ्तार, आला कत्ल बरामद।

दिनांक 03.09.2021 को थाना तरकुलवा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बेलहीं में एक युवती कलाबुन निशा पुत्री मुमताज का शव उसके घर के सामने स्नानागार के पास बरामद हुआ था, जिसपर मृतका की माँ अजबुन निशा पत्नी मुमताज की तहरीर के आधार पर थाना तरकुलवा पर मु0अ0सं0-157/2021 धारा-302,354,506,120बी भादसं का अभियोग मृतका के पड़ोसी 01.हरेराम यादव गौतम यादव सहित कुल 03 अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत करते हुए विवेचना की जा रही है। विवेचक द्वारा विवेचना के क्रम में संकलित साक्ष्यों के आधार पर मृतका की माँ अजबुन निशा पत्नी मुमताज एवं बहन रूखशाना पत्नी निजामुद्दीन निवासी-कोटवा मिश्र थाना-बघौचघाट जनपद-देवरिया जो अपनी माँ अजबुन निशा के साथ रह रही है को मुखबिर की सूचना पर ग्राम बंजरिया के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्ता द्वारा अपनी बेटी की हत्या किये जाने की घटना का इकबाल करते हुए बताया गया कि मृतका के प्रेम संबन्ध से परेशान होकर उससे कहा सूनी होने के उपरान्त मैं एवं मेरी बेटी द्वारा मृतका के गले को बांस के डण्डे से दबाकर हत्या कर दी गयी तथा शव को घर के बाहर ही स्नानागार के पास रखकर प्रातः पुलिस को अपनी पुत्री के हत्या की सूचना दे दिया गया। पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्ता की निशानदेही पर उसके घर से आला कत्ल बरामद करते हुए अभियुक्ता को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. अजबुन निशा पत्नी मुमताज निवासी-बेलहीं थाना-तरकुलवा जनपद-देवरिया।
02. रूखशाना पत्नी निजामुद्दीन निवासी-कोटवा मिश्र थाना-बघौचघाट जनपद-देवरिया,  
हा0मु0-बेलहीं थाना-तरकुलवा जनपद-देवरिया।

#### बरामदगी का विवरण:-

- 01.आला कत्ल बांस का डण्डा

#### गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 01.प्रभारी निरीक्षक जयंत कुमार सिंह थाना तरकुलवा देवरिया,
- 02.कां0 रामअशीष यादव थाना तरकुलवा देवरिया,
- 03.कां0 रोहीत सरोज थाना तरकुलवा देवरिया
- 04.म0कां0 प्रियंका चौहान थाना तरकुलवा देवरिया
- 05.म0कां0 चांदनी गुप्ता थाना तरकुलवा देवरिया

नोट:-पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु 5000/-रूपये से पुरस्कृत करने की घोषणा की गयी।

## प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 08.09.2021 जनपद देवरिया।

### थाना महुआडीह पुलिस द्वारा हत्या कारित करने वाले मुख्य अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, आला कत्ल बरामद।

दिनांक 01.09.2021 को थाना महुआडीह क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बेलवा बाजार में आपसी पट्टीदारों के मध्य घर के छज्जे को लेकर विवाद में अभियुक्त शुभम गुप्ता पुत्र रामेश्वर गुप्ता द्वारा धर्मन्द्र राव पुत्र स्व0 रवीन्द्र राव को अपने पिता रामेश्वर गुप्ता की लाइसेंसी बन्दुक एसबीबीएल 12 बोर से गोली मार दिया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो जाने के संबन्ध में मृतक के भाई वादी उपेन्द्र राव पुत्र स्व0 रवीन्द्र राव की तहरीर के आधार पर थाना महुआडीह में मु0अ0सं0-103/2021 धारा-302 भादसं का अभियोग पंजीकृत करते हुए विवेचना की जा रही है। विवेचक द्वारा विवेचना के क्रम में आज दिनांक 08.09.2021 को मुखबिर की सूचना पर मुख्य अभियुक्त शुभम गुप्ता पुत्र रामेश्वर गुप्ता निवासी-बेलवा बाजार थाना-महुआडीह जनपद-देवरिया को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर उसके घर में छिपाकर रखी गयी आला कत्ल एसबीबीएल बन्दुक 12 बोर बरामद किया गया। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर आलाकत्ल को कब्जे में लेते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. शुभम गुप्ता पुत्र रामेश्वर गुप्ता निवासी-बेलवा बाजार थाना-महुआडीह जनपद-देवरिया

#### बरामदगी का विवरण:-

- 01.आला कत्ल एसबीबीएल बन्दुक 12 बोर

**गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-**

- 01.उ०नि० राममोहन सिंह थानाध्यक्ष महुआडीह देवरिया,
- 02.उ०नि० अमरनाथ सोनकर, थाना महुआडीह देवरिया,
- 03.का० श्रवण गिरी थाना महुआडीह देवरिया
- 04.का० विपिन पाण्डेय थाना महुआडीह देवरिया
- 05.का० रामविलास थाना महुआडीह देवरिया
- 04.का० विपिन पाण्डेय थाना महुआडीह देवरिया
- 05.का० रामविलास थाना महुआडीह देवरिया

